

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

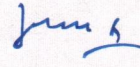
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(पी-स्पे. 6/92)/अलेसे-11/ 496-95 दिनांक :- 09/09/2020

कार्यालय आदेश

श्री प्रेमचन्द बंशीवाल (लिंक नं. 4940), स.ले.अ.-II कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग, राजसमंद को विभागीय आदेश क्रमांक 2569 दिनांक 21.02.2018 द्वारा कोषाधिकारी राजसमंद का दोहरा कार्यभार दिया गया था। जिसकी पालना में श्री बंशीवाल ने दिनांक 21.02.2018 से कोषालय राजसमंद में अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त कार्य सम्पादित किया। श्री बंशीवाल द्वारा उक्त अवधि में अतिरिक्त कार्य करने के फलस्वरूप दिनांक 21.02.2018 से 07.08.2018 तक का राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 2 प्रतिशत दोहरा कार्यभार स्वीकृत किया जाता है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(पी-स्पे. 6/92)/अलेसे-11/ 496-95 दिनांक :- 09/09/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग, राजसमंद, राजस्थान।
2. कोषाधिकारी राजसमंद।
3. श्री प्रेमचन्द बंशीवाल, स.ले.अ.-II, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग, राजसमंद।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)